

न्यायालय लोकपाल मनरेगा, जिला, वैशाली द्वारा शिकायत सं०-०७ में पारित आदेश की प्रतिलिपि:  
आदेश

दिनांक :-  
२५.५.१३

यह शिकायत श्री महेश प्रसाद सिंह, मुखिया, ग्राम पंचायत, चेचर, प्रखण्ड- बिदुपुर, जिला- वैशालीके दिनांक 13.03.13 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था।

शिकायत पत्र बिदुपुर, प्रखण्ड क ग्राम पंचायत चेचर में वित्तीय वर्ष 2009-10 में वृक्षारोपण की योजनाओं में व्यय की गयी राशि को उप विकास आयुक्त, वैशाली द्वारा अनियमित रूप से दुरुपयोग पाने के कारण राशि जमा करने के आदेश के संदर्भ में था।

शिकायतकर्ता का कहना है कि वृक्षारोपण की वर्ष 2009-10 की कुल 22 योजनाओं में योजना संख्या 21,22,23,24,25,26,27,28,29 एवं 30/2009-10 में लगाये गये वृक्ष को नीलगाय एवं अन्य दूसरे जानवर द्वारा नष्ट किया गया था। शेष 12 योजना के संदर्भ में वनपोषक द्वारा प्रथम पटवन कराया गया था, परन्तु रोजगार सेवक, श्री राज किशोर सिंह के फरार हो जाने के कारण देखभाल करने वाला कोई नहीं था नतीजतन शेष 12 योजनाओं में भी लगाए गये वृक्ष प्रायः नष्ट हो गये।

शिकायतकर्ता का आगे यह भी कहना है कि पंचायत रोजगार सेवक, श्री राज किशोर सिंह की अनुपस्थिति के संदर्भ में मैंने लिखित रूप से उप विकास आयुक्त, वैशाली, कार्यक्रम पदाधिकारी, बिदुपुर, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिदुपुर को बार-बार सूचित किया था। परन्तु कोई दूसरा रोजगार सेवक भी नहीं दिया गया। नतीजतन वनपोषकों के अभाव में पौधे नष्ट हो गये। अतः मुझे इस अनियमितता से दोष मुक्त किया जाय।

शिकायतकर्ता के शिकायत पत्र के संबंध में पंचायत रोजगार सेवक, चेचर से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि उक्त संदर्भ की जाँच उप विकास आयुक्त, वैशाली के निदेशानुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वैशाली-सह-प्रभारी पदाधिकारी, बिदुपुर एवं सहायक अभियंता, मनरेगा, वैशाली द्वारा योजनाओं की स्थल की जाँच की गयी थी। उक्त दोनों पदाधिकारियों ने अपना जाँच प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया था। यह जाँच प्रतिवेदन सात पृष्ठों का है। यह प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।

उक्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। जाँच प्रतिवेदन में किसी भी योजना में बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया था, तथा सभी योजनाओं में जीवित पौधों की संख्या शून्य पाया गया था।

अतः कार्य का सफल कार्यान्वयन नहीं किया जा सका था।

अतः उप विकास आयुक्त, वैशाली द्वारा अनियमितता की असमायोजित राशि जमा करने का आदेश सही है।

अतः आदेश दिया जाता है कि सात दिनों के अन्दर उक्त राशि को ससमय जमा करना सुनिश्चित करें।

इन्ही निष्कर्ष के साथ इस शिकायत का निष्पादन किया जाता है।

हस्ताक्षर  
  
लोकपाल,  
मनरेगा वैशाली

टिप्पणी  
/कार्रवाई


जमा की गयी राशि का व्योरा एच०डी०एफ०सी० बैंक, हाजीपुर दिनांक 27.04.13  
रु० 120617.00  
ड्राफ्ट सं० -006799  
VSV. CO-PERATIVE BANK LTD, HAJIPUR दिनांक 27.04.13  
रु० 120617.00  
ड्राफ्ट सं० -006860  
पंजाब नेशनल बैंक, बिदुपुर दिनांक 02.05.13  
रु० 89300.00  
ड्राफ्ट सं० -377929

ज्ञापांक ५७७

मनरेगा, हाजीपुर

दिनांक: ३१/५/१३

प्रतिलिपि: कार्यक्रम पदाधिकारी, बिदुपुर को सूचनार्थ।  
 प्रतिलिपि: उप विकास आयुक्त, वैशाली को सूचनार्थ।  
 प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ।  
 प्रतिलिपि: सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना को सूचनार्थ।  
 प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ।


  
 लोकपाल,  
 मनरेगा, वैशाली

ज्ञापांक ५७७

मनरेगा, हाजीपुर

दिनांक: ४/१३

प्रतिलिपि: शिकायतकर्ता श्री महेश प्रसाद सिंह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

  
 लोकपाल,  
 मनरेगा, वैशाली